भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2114

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

खनन कंपनियों को भूमि आबंटन

†2114. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान राज्य में खनन कंपनियों को पट्टे पर अथवा अन्यथा आबंटित वन विभाग के भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि आबंटन के मापदण्ड क्या हैं और भूमि प्राप्त करने वाली कंपनियों के नाम, कुल पट्टे पर दिया गया क्षेत्रफल, पट्टे की अवधि और इन पट्टों से जुड़ी शर्तें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाएजा रहे है और वन भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास सतत् खनन पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए कोई अभिशासन प्रणाली है और यदि हां, तो विनियमनों, निगरानी और प्रवर्तन तंत्रों सहित इस प्रणाली के प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): मौजूदा कानून के अनुसार, खनन पट्टे के निष्पादन से पूर्व, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी सहित केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से अपेक्षित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। वन मंजूरी के भाग के रूप में संभावित पट्टेदार को खनन के लिए वन भूमि के डायवर्सन के बदले प्रतिपूरक वनरोपण करना आवश्यक है।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान खनन कंपनियों को 195.09 हेक्टेयर क्षेत्र आवंटित किया गया है।

(ख): वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वन भूमि का आवंटन और डायवर्सन किया जाता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दिए गए खनन पट्टों की पट्टावधि 50 वर्ष है। खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं तथा खनन पट्टे में शर्तें राज्य सरकारों द्वारा एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लगाई जाती हैं।

(ग): एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23ग के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, ढुलाई तथा भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, इसने पर्यावरण अनुकूल खनन को बढ़ावा देने, व्यावहारिक खनन मुद्दों का समाधान करने तथा अवैध खनन को रोकने के लिए दिनांक 23.01.2015 को जिला स्तरीय खनिज विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं अवैध खनन निगरानी समिति का गठन किया है। इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 के तहत जीपीएस और आरएफआईडी से सुसज्जित वाहनों के प्रयोग का प्रावधान किया है।

केंद्र सरकार ने खनन पट्टों के आसपास अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) कार्यान्वित की है। यह प्रणाली किसी भी संभावित अवैध खनन की असामान्य गतिविधि का पता लगाने के लिए सैटेलाइट चित्रों का उपयोग करके मौजूदा खनन पट्टे की सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र की जांच करती है। किसी भी विसंगति को ट्रिगर के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार सृजित ट्रिगर्स को फील्ड दौरे के माध्यम से सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

इसके अलावा, खान नियोजन विधियों में सुधार, खानों में सतर्कता और सुरक्षा तथा खनन कार्यों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पट्टाधारकों के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ): खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण एवं विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के अंतर्गत प्रावधान करके सतत खनन विधियों को कार्यान्वित किया है। वायु प्रदूषण से सावधानी, विषैले तरल पदार्थ के रिसाव की रोकथाम, शोर से सावधानी, सतह के धंसाव पर नियंत्रण आदि के लिए इन नियमों में प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन विधियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। स्टार रेटिंग योजना को पर्यावरण और वन सुरक्षा उपायों के लिए एक अंतर्निहित अनुपालन तंत्र बनाने के लिए तैयार किया गया है और यह सभी खनन पट्टाधारकों को

उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को पहचानने में सहायक रहा है।

इसके अलावा, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खनन प्रचालनों के शुरू होने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के भीतर कम से कम तीन स्टार रेटिंग प्राप्त करना और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसे बनाए रखना अनिवार्य है।

*****